Maharana Pratap Govt. Degree College Amb

District Una HP-177203

www.mpgcamb.com | govtcollegeamb@gmail.com | mpgcamb@gmail.com | 01976-260032

संदर्भ संख्या : - 659 **दिनांक: 14-11-2026**

परिपत्र (CIRCULAR)

विषय: त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों के प्रयोग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना।

महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र संख्या **EDN-HE(3)A(1)-16/2025 दिनांक 12.11.2026** के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में पटाखों के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:

1. त्योहारी अवसरों पर केवल **ग्रीन क्रैकर्स (Green Crackers)** के प्रयोग की अनुमति होगी। पारंपरिक एवं प्रतिबंधित पटाखों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
2. ग्रीन क्रैकर्स का प्रयोग केवल निम्नलिखित निर्धारित तिथियों एवं समयावधि में ही किया जा सकेगा:
   - **गुरुपर्व:** 24 नवम्बर, 2026 – प्रातः 4:00 बजे से 5:00 बजे तक तथा रात्रि 9:00 बजे से 10:00 बजे तक।
   - **क्रिसमस ईव:** 25-26 दिसम्बर, 2026 – रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक।
   - **नववर्ष की पूर्व संध्या:** 31 दिसम्बर, 2026 से 1 जनवरी, 2027 – रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक।
3. हिमाचल प्रदेश में Amazon, Flipkart आदि सहित किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री एवं ऑर्डर की डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी।
4. सभी विद्यार्थी एवं कर्मचारी वायु एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से दूर रहें तथा बच्चों, बुजुर्गों एवं श्वास संबंधी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।
5. सभी से आग्रह किया जाता है कि वे पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाते हुए त्योहारों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण में मनाएं।
6. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अतः महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा पर्यावरण संरक्षण एवं जनस्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।

सभी संबंधितों से निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना अपेक्षित है।

Principal
M. P. Govt. College, Amb
Distt. Una (H.P.)

प्राचार्य
महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय
अंब, जिला ऊना (हि.प्र.)